

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या:-पीसीएच-एचबी(1)2/99- ।।- ४९०५६-४९०८० शिमला-९

दिनांक ०८ जुलाई, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, सचिव, हि०प्र० लोक सेवा आयोग, शिमला-२ के कार्यालय पत्र संख्या-८-१/९६-पीएससी-पार्ट दिनांक 30.6.2022 के अन्तर्गत प्राप्त विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज विभाग के पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ के कार्यालय में जिला अंकेक्षण अधिकारी/प्रशिक्षक (अराजपत्रित श्रेणी- ।।) के पद पर कार्यरत श्री हुकम चन्द को प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (राजपत्रित श्रेणी- ।) के पद पर संशोधित पै मैट्रिक्स लेवल-13 में नियमित रूप से पदोन्नत कर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा के कार्यालय में उक्त श्रेणी के रिक्त पद के प्रति पदस्थ करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारी प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (राजपत्रित श्रेणी- ।) के पद पर उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष तक परीविक्षा अवधि पर रहेंगे।

उक्त कर्मचारी को प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (राजपत्रित श्रेणी- ।) के पदोन्नत पद पर उपस्थिति देने के एक माह की अवधि के भीतर-भीतर पदोन्नत पद पर मूल नियम 22-१(ए)(१) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। निर्झित अवधि के उपरान्त प्रस्तुत विकल्प स्वीकार्य नहीं होगा।

उक्त पदोन्नत कर्मचारी को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 दिनों की अवधि के भीतर-भीतर पदोन्नत पद पर अपनी उपस्थिति देनी अनिवार्य होगी। जिस हेतु उन्हें नियमानुसार यात्रा-भत्ता तथा कार्यग्रहण समय देय होगा।


(आदेश द्वारा)
(निशा सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२

पृष्ठां०सं०- पीसीएच-एचबी(1)2/99- ।। ४९०५६-४९०८० शिमला-९, दिनांक ०८ जुलाई, 2022

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, हि०प्र० लोक सेवा आयोग, शिमला-२ को उनके कार्यालय पत्र संख्या-८-१/९६-पीएससी-पार्ट दिनांक 30.6.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. उपायुक्त जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
3. उप नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि०प्र० शिमला-०५ को राजपत्र(असाधारण ई-गजट) में शीघ्र प्रकाशन हेतु।
4. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. समस्त जिला पंचायत अधिकारी-एवं-सचिव जिला परिषद/प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
7. कोषाधिकारी, जिला कोष कांगड़ा व शिमला, हि०प्र० को सूचनार्थ।
8. श्री हुकम चन्द, जिला अंकेक्षण अधिकारी/प्रशिक्षक कार्यालय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि०प्र० को सूचनार्थ तथा अनुपालनार्थ।
9. श्री अखिलेश ठाकुर, प्रोग्रामर राज्यमुख्यावास को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. कर्मचारी की निजी पत्रावली/गार्ड पत्रावली।


संयुक्त सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-९